मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनाँक: निर्णय दिनाँक: अवधि:

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस. 01/08/14 21/08/20 6 वर्ष, 0 माह, 20 दिन

एम.ए.सी.पी. संख्या- 277 वर्ष 2014

प्रताप उर्फ प्रताप सिंह आयु लगभग 17 वर्ष अवयस्क पुत्र हरीओम जरिये विधिक संरक्षक पिता हरीओम पुत्र श्री अच्छेलाल निवासी ग्राम व पोस्ट घुरैया थाना टहरौली जिला झाँसी, उ. प्र.

.....याची

प्रति

1. श्रीमती शीला यादव पत्नी स्व. मातादीन पुत्र श्री रम्मी यादव निवासी मुहल्ला तलैया थाना कोतवाली मिनर्वा टाकीज के पीछे, झाँसी उ. प्र.

.....पंजीकृत स्वामी बस नं. UP 93E 9899

2. चन्द्रपाल सिंह तनय अज्ञात निवासी ग्राम व पोस्ट ककरवई तहसील गरौठा जिला झाँसी, उ. प्र.

.....बस चालक बस नं. UP 93E 9899

3. यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कं. लि., नन्दनपुरा चौराहा सीपरी बाजार, झाँसी, उ. प्र. जरिये मण्डलीय प्रबन्धक

.....बीमा कम्पनी बस नम्बर UP 93E 9899 पॉलिसी नं. 082200313 पी103227633 वैधता 29.08.2013 से 28.04.2014 तक

.....विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- श्री राजीव शर्मा
विपक्षीगण सं. 1 व 2 के अधिवक्ता- श्री दिनेश कुमार गुप्ता
विपक्षी सं. 3 के अधिवक्ता- श्री हरिश्चन्द्र सिंह

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याची प्रताप उर्फ प्रताप सिंह जरिये विधिक संरक्षक पिता हरीओम द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याची प्रताप उर्फ प्रताप को आयी चोटों के कारण ₹ 12,77,200/- मय 15 % वार्षिक ब्याज क्षातिपूर्ति दिलाये जाने हेतु विपक्षीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि याची प्रताप उर्फ प्रताप सिंह दिनाँक 25.01.2014 को बस नम्बर UP 93E 9899 में बैठकर झाँसी से ग्राम घुरैया आ रहा था। रास्ते में ग्राम व कस्बा टहरौली बस स्टैण्ड पर में जब बस रुकी तब याची बस चालक से कहकर बस से उतरकर मूत्र त्याग करने के पश्चात शाम 7 बजे बस पर चढ़ने लगा तो चालक ने बस को तेजी व लापरवाही से बिना हार्न बजाये आगे बढ़ा दी जिससे याची बस से गिर गया और उसके दाहिने पैर के पंजे पर से बस का पहिया निकल गया जिससे उसके पैर में काफी चोटें आईं और याची मूर्क्षित होकर गिर गया। याची को घायल हालत में उसी बस में लिटाकर घुरैया बस स्टैण्ड से डॉ. डी. के. गुप्ता के नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। इसमें याची की कोई गलती नहीं रही है। बस के चालक ने पूर्ण उपचार कराने का व पूर्ण खर्चा देने का आश्वासन दिया व पुलिस में रिपोर्ट न करने के लिये कहा। इस पर याची व उसके परिवार के लोग उपचार कराने को तैयार हो गये किन्तु झाँसी ऑर्थोपेडिक में याची का पूरा उपचार नही कराया गया व सारा खर्च याची के परिवार के लोगों को अदा करना पड़ा तथा नर्सिंग होम से रसीद, बिल भी पूरे नहीं दिये गये। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण याची का दाहिना पैर कट जाने से याची विकलांग हो गया है। याची कक्षा 12 में अध्ययनरत था तथा वह कुशाग्र बुद्धि का था। उक्त दुर्घटना में आई अत्यधिक गम्भीर चोटों के कारण उसकी शिक्षा के विकास में व्यवधान हुआ तथा याची को सेवा नियोजन प्राप्त करने, चलने-फिरने, उठने-बैठने में शारीरिक व मानसिक कष्ट शेष जीवन भर के लिये रहेगा। याची ने अपनी मासिक आय कम से कम ₹ 20,000 याचिका में अंकित की है।

3. विपक्षी सं. 1 श्रीमती शीला यादव जो कि मृतक मातादीन जो कि प्रश्नगत बस सं. UP 93E 9899 का पंजीकृत स्वामी है, की पत्नी है तथा जो मृतक मातादीन के पश्चात प्रश्नगत बस की स्वामी हुई, तथा विपक्षी सं. 2 चन्द्रपाल सिंह उक्त प्रश्नगत बस के चालक की ओर से 25 बी संयुक्त जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार किया गया है तथा मुख्य रूप से यह कथन किये हैं कि कथित दुर्घटना में प्रतिवादी के चालक की कोई गलती, तेजी व

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.21 17:30:17 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

लापरवाही नहीं थी। प्रतिवादी सं. 1 का चालक एक पुराना अनुभवी चालक है। वह अपने वाहन को हमेशा सावधानी पूर्वक ट्राफिक नियमों का पालन करते हुये अपने वाहन को चलता है। कथित दिनाँक को वह अपनी बस बाला जी से ककरवई लेकर जा रहा था तथा बस में सभी स्थान की सवारी थी। घटना से पूर्व मिन प्रतिवादी ने टहरौली रुक कर सवारी उठाई व बिठाई। प्रतिवादी की बस से कोई दुर्घटना नहीं हुई। प्रतिवादी पहला गेयर डालकर बमुश्किल 10 कि. मी. की स्पीड से चलते हुये सायं 7 बजे टहरौली से आगे बढ़ा ही कि सड़क निर्माण होने के कारण रोड पर गिट्टी पड़ी थी, याची अचानक गिट्टी पर दौड़ा जिससे गिट्टी पर स्लिप होकर गिर पड़ा जिससे उसके पैर में चोट आयी। कथित दुर्घटना के दिनाँक को प्रतिवादी के पास बरवक्त दुर्घटना बस चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था जिस पर एच.पी.वी. की पुष्टि दिनाँक 30.06.1987 को है। बीमा व पंजीयन प्रमाण पत्र मातदीन यादव पंजीकृत स्वामी के नाम था जिस पर मार्ग कर की प्रविष्टि दिनाँक 31.03.2014 तक वैध थी तथा आज भी वैध है एवं सी.एफ. दिनाँक 13.02.2013 से 13.03.2014 तक वैध है तथा परमिट सं. 348/एस.टी.ए./स्टेज/96 जो ककरवई से बालाजी वाया झाँसी के लिये 27.04.2011 से 26.04.2016 तक वैध है। विपक्षीगण की उक्त प्रश्नगत बस दिनाँक-29.08.2013 से 28.08.2014 तक तृतीय पक्ष के असीमित दायित्व के लिए बीमित थी। याची यदि कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी बनता है तो उसके भुगतान का उत्तरदायित्व विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी का होगा।

4. विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड कथित प्रश्नगत वाहन सं. UP 93E 9899 की बीमा कम्पनी की ओर से 17 बी जवाबदावा दाखिल किया गया है, जिसमें उसने याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किये हैं, कि तथाकथित दुर्घटना के समय प्रश्नगत बस के चालक के पास वैध व प्रभावी लाइसेन्स नहीं पाया गया तो इस आधार पर उससे याची कोई प्रतिकर पाने का अधिकारी नहीं होगा। याची की तथाकथित वाहन से दुर्घटना नहीं हुयी तथा उसे जो चोटें आयी हैं वह उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण आई हैं। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है अन्यथा नहीं।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनाँक 17.12.2015 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये हैंः-

1. क्या दिनाँक 25.01.2014 को ग्राम व कस्बा टहरौली में बस नम्बर UP 93E 9899 में रास्ते में पेशाब करके जब पुनः बस पर चढ़ रहा था तो चालक ने बिना हार्न बजाये बस को चला दिया जिससे याची बस से गिर गया और उसके दाहिने पंजे से बस का पहिया निकल गया जिससे उसे गम्भीर चोटें आयीं ?

2. क्या दुर्घटना दिनाँक को बस संख्या UP 93E 9899 के चालक के पास बस चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था ?

3. क्या दुर्घटना दिनाँक को बस संख्या UP 93E 9899 विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. के यहाँ बीमित थी ?

4. क्या याची कोई क्षतिपूर्ति धनराशि विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी है यदि हाँ तो कितनी व किस पक्षकार से ?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैंः-

याची की ओर से -

<u>अभिलेखीय</u>

1. सूची साक्ष्य 7 सी1 से 8 सी1 लगायत 11 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, पंजीयन प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी की छाया प्रतियां शामिल हैं।

2. सूची साक्ष्य 85 सी1 से 85 सी1/2 असल विकलांगता प्रमाणत्र दाखिल किया गया तथा सूची साक्ष्य 37 सी1 के माध्यम से 38 सी1 लगायत 66 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें विकलांगता प्रमाणपत्र की छाया प्रति, रेलवे रियायत प्रमाण पत्र की छाया प्रति, इंजरी रिपोर्ट की छाया प्रति, विभिन्न दावाओं से संबंधित बिल / रसीद, असल एक्स-रे रिपोर्ट व एक्स-रे प्लेट, असल उपचार के पर्चे, डिस्चार्ज कार्ड / समरी, असल पैथोलॉजी रिपोर्ट, आधार कार्ड की छाया प्रति, आरोप पत्र की सत्यप्रतिलिपि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को दिये गये प्रार्थनापत्र की कार्बन प्रति शामिल हैं।

मौखिक

पी. डब्लू. 1 याची प्रताप तथा पी. डब्लू. 2 हरीओम याची के पिता

विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से -

अभिलेखीय

सूची साक्ष्य 26 सी1 से 27 सी1 लगायत 32 सी1 प्रपत्र दाखिल किये गये हैं जिनमें वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, चालन अनुज्ञप्ति आदि की प्रमाणित प्रतियॉ शामिल हैं।

विपक्षीगण की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य दाखिल नहीं की गयी है।

7. मैंने वर्चुअल कोर्ट में उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी। विपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा विधि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1

वाद बिंदु संख्या एक इस आशय का है कि क्या दिनाँक 25.01.2014 को ग्राम व कस्बा टहरौली में बस नम्बर UP 93E 9899 में रास्ते में पेशाब करके जब पुनः बस पर चढ़ रहा था तो चालक ने बिना हार्न बजाये बस को चला दिया जिससे याची बस से गिर गया और उसके दाहिने पंजे से बस का पहिया निकल गया जिससे उसे गम्भीर चोटें आयीं? वाद बिन्दु सं. 1 को साबित करने का भार याची पर है। मौखिक साक्ष्य में पी. डब्लू. 1 के रूप में याची ने स्वयं को परीक्षित कराया है। पी. डब्लू. 1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनाँक 25.01.2014 को वह झाँसी से बस सं. UP 93E 9899 में बैठकर घुरैया जा रहा था। वह पेशाब करने के लिये बस स्टैण्ड टहरौली में ड्राईवर को बताकर उतरा और जैसे ही बस में चढ़ने लगा तो बस चालक ने तेजी व लापरवाही से बिना हॉर्न बजाये यकायक चला दिया जिससे वह नीचे गिर पड़ा और उसका दाहिना पैर बस के पिछले पहिये के नीचे आ गया जिससे उसके पैर का दाहिना पंजा बुरी तरह कुचल गया। उसके पैर का पंजा बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण डॉक्टर ने पंजा काट दिया था दुर्घटना शाम को करीब 7:00 बजे हुई थी। पी. डब्लू. 1 का साक्ष्य दुर्घटना के साढ़े चार वर्ष बाद तथा पी. डब्लू. 2 का साक्ष्य दुर्घटना के पाँच वर्ष से अधिक समय बाद लेखबद्ध किया गया है। ऐसे में साक्षीगण द्वारा कुछ तथ्य भूल जाने के कारण प्रति परीक्षा में छोटी विसंगतियां आ जाना बहुत ही स्वाभाविक है। इस साक्षी ने प्रति परीक्षा में कथन किया है कि उसने डॉ. डी. के. गुप्ता के अलावा अन्य कहीं इलाज व एक्स-रे नहीं कराया जबकि पत्रावली पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टहरौली की एक्सीडेंटल इंजरी रिपोर्ट उपलब्ध है जो कि दिनाँक 07.02.2014 की है जिसमें चिकित्सक द्वारा यह कहा गया है कि प्रताप के दाहिने पैर के पंजे का एंप्यूटेशन हो चुका है तथा सिलाई स्वस्थ है। चोटें 8-10 दिन पुरानी हैं तथा कठोर सतह पर दबाव पड़ने के कारण कुचली हुई चोट आई है। इस चिकित्सक द्वारा याची को अग्रिम प्रबंधन व एक्स-रे हेतु जिला चिकित्सालय झाँसी रेफर कर दिया गया है। अतः मेरे विचार से यह विसंगति कोई गंभीर विसंगति नहीं है क्योंकि पी. डब्ल्यू. 2 जो कि याची का पिता है ने कथन किया है कि एंप्यूटेशन के बाद पट्टी कराने वह टहरौली अस्पताल जाता था तथा पी. डब्लू. 1 ने भी आगे का की प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसने दिनाँक 07.02.2014 को टहरौली अस्पताल में अपना इलाज कराया था। याचिका में इस बात का उल्लेख है कि दुर्घटना के समय याची कक्षा 12 में पढ़ता था जबकि याची के साथ में याची ने कक्षा 10 में पढ़ना बताया और याची के पिता ने बीए में पढ़ना बताया है। यह समस्त विसंगतियां साक्षी गण के बयान बहुत अधिक समय बाद होने व साक्षी गण का ग्रामीण परिवेश के होने के कारण आईं है। छात्र जीवन में बस के किराये मैं कभी कुछ छूट व कभी पूरा किराया कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पत्रावली पर बस के टिकट का दाखिल न किया जाना याची के लिए घातक नहीं है क्योंकि पुलिस ने विवेचना के पश्चात बस के चालक के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। याची के प्रति परीक्षा के कथनों में यह आया है कि उसका चेहरा बस के अगले दरवाजे की ओर था। बस का गेट खुला हुआ था। वह बस से इस वजह से दूर नहीं हो पाया कि बस अचानक चल पड़ी। निश्चय ही यह बस के चालक व परिचालक की गंभीर उपेक्षा है। खड़ी बस को चलाने से पहले यह निश्चय कर लिया जाना चाहिए कि बस के समस्त यात्री बस के अंदर आ चुके हैं और बस का दरवाजा बंद हो चुका है। कभी भी बस को बगैर संकेत व हार्न दिए अचानक चलाना भी नहीं चाहिए। बस चालक की इसी गंभीर उपेक्षा का परिणाम यह दुर्घटना है। विपक्षी सं. 3 की ओर से जो विधि

व्यवस्था Manjit Kaur and Ors. vs. Sant Baba Labh Singh and Ors. (04.10.2017 - PHHC) : MANU/PH/3037/2017 प्रस्तुत की गई है उसके तथ्य इस प्रकरण के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न उस *प्रकरण में दुर्घटना में मृतक के साथ चल रहे व्यक्ति द्वारा ट्रक के विरुद्ध दर्ज कराई गई रिपोर्ट मे दुर्घटना ट्रक चालक की लापरवाही के कारण होना नहीं बताई गई थी बल्कि ट्रक के अचानक पलट जाने के कारण बताई गई थी जबकि याचिका ट्रक चालक की लापरवाही के आधार पर प्रस्तुत की गई थी।* अतः वह याचिका मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत स्वीकार नहीं की गई थी और साथ ही यह विधिक बिंदु भी निश्चित किया गया था कि *धारा 166 की याचिका को धारा 163A में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।* इस बिंदु पर विधि व्यवस्था Archit Saini and Ors. vs. The oriental Insurance Co. Ltd. And Ors. (09.02.2018-S.C): MANU/SC/ 0105/2018 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि *मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले में दावेदारों को मामले में इतनी यात्रा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि एक आपराधिक मुकदमें में। न्यायालय को इस अंतर को ध्यान में रखना चाहिए। एक विशेष बस द्वारा एक विशेष ढंग से दुर्घटना कारित किए जाने को सख्त सबूत द्वारा साबित किया जाना दावेदारों के लिये संभव नहीं है। दावेदारों को केवल अधिसंभाव्यता की प्रबलता की कसौटी पर अपना मामला स्थापित करना था। उचित संदेह से परे प्रमाण का मानक नहीं हो सकता था।* विपक्षी सं. 3 की ओर से विधि व्यवस्था Dharam Dev vs. Mohinder Singh and Ors. (30.11.2007 - HPHC) : MANU/HP/0258/2007 प्रस्तुत कर विश्वास व्यक्त किया गया है जिसमें बस मे चढ़ते समय चालक द्वारा बस को चला देना के कारण आई चोटों के आधार पर प्रस्तुत याचिका निम्न आधारों पर निरस्त की गई है-

1- प्रथम सूचना रिपोर्ट में 6 माह का अस्पष्टीकृत विलम्ब है।

2- घायल की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक द्वारा न्यायालय को बताया गया था कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट नहीं है व जब कभी भी दुर्घटना या चोटों का मामला आता है तो पुलिस को सूचित किया जाता है।

3- घायल की ओपीडी स्लिप में घर की सीढ़ियों से गिरने का जिक्र है।

4- यह सुझाव दिया गया था कि घर की सीढ़ियों से गिरने से याची घायल हुआ है।

प्रस्तुत प्रकरण तथा उक्त प्रकरण में बस में चढ़ते वक्त बस को अचानक चला देने से याची घायल होने और दोनों प्रकरणों में याची के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के अतिरिक्त और कोई समानता नहीं है।

1- इस प्रकरण में याची के पिता पी. डब्लू. 2 से प्रथम सूचना रिपोर्ट में डेढ़ माह के विलंब के कारण के संबंध में परीक्षा में कोई प्रश्न ही नहीं किए गए हैं। याचिका के अनुसार बस चालक ने पूर्ण इलाज कराने का आश्वासन दिया व पुलिस रिपोर्ट न करने के लिए कहा, मगर उसने पूरा इलाज नहीं कराया तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पी. डब्लू. 2 हरीओम ने कथन किया है कि उसने घटना के 6-7 दिन बाद टहरौली में रिपोर्ट लिखायी थी। इसके अतिरिक्त हरीराम द्वारा दिनाँक 20.02.2014 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी को उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट लिखे जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया, जिसकी कार्बन प्रति पत्रावली पर 66 सी1 है।

2- इस प्रकरण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टहरौली का दुर्घटना का मेडिको लीगल सर्टिफिकेट दिनाँकित 07.02.2014 उपलब्ध है।

3- डॉ. डी. के. गुप्ता, जहाँ सबसे पहले घायल को दिनाँक 26.01.2014 को इलाज कराने के लिए ले जाया गया, ने चिकित्सीय आख्या में यह अंकित किया है कि घायल को बस से गिरने के कारण चोट आई।

4- यह सुझाव दिया गया है कि साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते समय याची का पैर पहिए में फंसने के कारण घर याची घायल हुआ है। मेरे विचार से यह सुझाव बिल्कुल अतार्किक है। मोटरसाइकिल या साइकिल पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति का पहिए में पैर फंसने की संभावना तो बन सकती है किंतु मोटरसाइकिल या साइकिल चलाते वक्त चालक का पैर पहिए में फंस सकता है यह बात समझ से परे है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब के बिंदु पर विधि व्यवस्था Ravi vs. Badrinarayan and Ors. (18.02.2011 – SC): MANU / SC / 0133/2011 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि *मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के दावे के लिए एफ.आई.आर. निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को साबित करती है जिससे कि पीड़ित*

क्षतिपूर्ति के लिए एक मामले को दर्ज करने में सक्षम है लेकिन ऐसा करने में देरी दावे को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकती है। घटनाओं के संचयी प्रभाव को आंका जाना है। [पैरा - 20 और 21]।

उक्त दोनों साक्षीगण पी. डब्लू. 1 व पी. डब्लू. 2 की प्रति परीक्षा में कोई ऐसा कोई तात्विक तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है जिससे इन साक्षीगण की साक्ष्य की सत्यता पर संदेह किया जा सके। बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पी. डब्लू. 1 की की गई प्रति परीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में बीमा कंपनी ने अन्वेषण कराया है क्योंकि बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने पी. डब्लू. 1 से प्रति परीक्षा मे प्रश्न किया है कि क्या उसने दिनाँक 22.10.2014 को बीमा कंपनी के अन्वेषक को बयान दिया था? प्रस्तुत प्रकरण में बीमा कम्पनी की ओर से कोई अन्वेषण आख्या प्रस्तुत नहीं की गयी है। बीमा कंपनी द्वारा अन्वेषण आख्या को रोक लेना यह स्पष्ट करता है कि वह अन्वेषण आख्या बीमा कंपनी के विरुद्ध है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि दिनाँक 25.01.2014 को ग्राम व कस्बा टहरौली में बस नम्बर UP 93E 9899 में रास्ते में पेशाब करके जब याची पुनः बस पर चढ़ रहा था तो चालक ने बिना हार्न बजाये बस को चला दिया जिससे याची बस से गिर गया और उसके दाहिने पंजे से बस का पहिया निकल गया जिससे उसे गम्भीर चोटें आयी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 1 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 2</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से प्रपत्र सं. 31 सी1 प्रश्नगत बस नम्बर UP 93E 9899 के चालक चन्द्र पाल सिंह की चालन अनुज्ञप्ति की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक के पास दिनाँक 10.01.2013 से 09.01.2016 तक बस चलाने का वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति था जिस पर एच.पी.वी.का इण्डोर्समेन्ट दिनाँक 30.06.1987 का है। इस अनुज्ञप्ति का खण्डन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। घटना दिनाँक 25.01.2014 की है। आरोपपत्र चालक चन्द्र पाल सिंह के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनाँक को बस संख्या U.P. 93E 9899 के चालक के पास बस चलाने का वैध व प्रभावी लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 2 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर विपक्षी सं. 1 व की ओर से प्रपत्र सं. 30 सी2 बस संख्या UP 93E 9899 की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत बस का बीमा दिनाँक 29.08.2013 से 28.08.2014 तक प्रभावी है। इस बीमा पॉलिसी का खण्डन विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। इसके अतिरिक्त विपक्षी सं. 1 व 2 की ओर से बस का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रपत्र सं. 27 सी1, स्वथता प्रमाणपत्र 28 सी1, परमिट की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ 29 सी1 भी दाखिल की गयी हैं, जिनका खण्डन भी विपक्षी सं. 3 बीमा कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है। घटना दिनाँक 25.01.2014 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि दुर्घटना दिनाँक को बस संख्या UP 93E 9899 विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लि. के यहॉ बीमित थी। तदनुसार वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

वाद बिन्दु सं. 1 के निस्तारण से यह साबित है कि बस संख्या UP 93E 9899 में रास्ते में पेशाब करके जब याची पुनः बस पर चढ़ रहा था तो चालक ने बिना हार्न बजाये बस को चला दिया जिससे याची बस से गिर गया और उसके दाहिने पंजे से बस का पहिया निकल गया जिससे उसे गम्भीर चोटें आयी। इस प्रकार याची क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है। अब प्रश्न यह हैं कि याची किस विपक्षी से और कितनी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है? चूँकि वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किये हैं अतः क्षतिपूर्ति का दायित्व विपक्षी सं. 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड का है।

12. <u>क्षतिपूर्ति की गणना-</u>

याची की ओर से अपनी याचिका में कथन किया गया है कि याची का दाहिना पैर का पंजा कुचल जाने से दौरान उपचार पंजा काट देने के कारण याची को शत-प्रतिशत विकलांगता आ गयी है। याची का यह भी कथन है कि वह कक्षा 12 में अध्ययनरत था तथा कुशाग्र बुद्धि का था उक्त दुर्घटना में आई अत्यधिक गम्भीर चोटों के कारण उसकी शिक्षा के विकास में व्यवधान हुआ तथा याची को सेवा नियोजन प्राप्त करने, चलने-फिरने, उठने-बैठने में शारीरिक

व मानसिक कष्ट शेष जीवन भर के लिये रहेगा। याची ने अपनी मासिक आय कम से कम ₹ 20,000 याचिका में अंकित की है। याची ने अपनी विकलांगता के सम्बन्ध में 85 सी1/2 असल अपंगता प्रमाण दाखिल किया गया है जिसमें याची को 45 प्रतिशत की permanent physically disability होना अंकित है।
मुख्य परीक्षा में पी. डब्ल्यू. 1 ने कथन किया है कि मेडिकल बोर्ड झाँसी द्वारा विकलांगता का आकलन करके 45% का प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यदि वह अपंग नहीं होता तो उसकी मासिक आय ₹15000 होती। प्रति परीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है की उसने अपनी निजी मासिक आय ₹ 10-15 हजार लिखाई थी। उसकी आमदनी घटना के समय घर का खेती बाड़ी का कार्य देखने से होती थी। विपक्षी संख्या तीन के विद्वान अधिवक्ता की ओर से विधि व्यवस्था Iqbalahamed vs. Vice-Chairman Patel Integrated Logistics Ltd. and Ors. (06.01.2017 - KARHC) : MANU/KA/0846/2017 प्रस्तुत कर विश्वास व्यक्त किया गया है जिसमें यह धारित किया गया है कि *यदि याचिका के अनुसार विकलांगता शत प्रतिशत है किंतु उपचार करने वाले चिकित्सक ने मात्र 50% विकलांगता लिखी है तो न्यायाधिकरण द्वारा केवल 50% विकलांगता नहीं माननी चाहिए और चिकित्सक को न्यायाधिकरण द्वारा आहूत करके न्यायाधिकरण को याची के समर्थन में खोज करनी चाहिए।* मेरे विचार से प्रस्तुत प्रकरण में चिकित्सक को बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपंगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है और मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया अपंगता प्रमाण पत्र लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। विधि व्यवस्था Dasrath vs. Alok Kumar Dubey and Ors. (08.09.2017 - ALLHC) : MANU/UP/2269/2017 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा तथा विधि व्यवस्था Parmanand Katara vs. Union of India (UOI) and Ors. (28.08.1989 - SC) : MANU/SC/0423/1989 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि *मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी अपंगता प्रमाण पत्र लोक दस्तावेज है जिसे साबित करने के लिए चिकित्सक को नहीं बुलाया जाना चाहिए।* मेरे विचार से न्यायाधिकरण स्वयं वास्तविक अपंगता अर्थात अपंगता से अर्जन क्षमता में ह्रास का प्रतिशत तय कर सकता है। विधि व्यवस्था Sandeep Khanuja vs. Atul Dande and Ors. (02.02.2017 - SC) : MANU/SC/0108/2017 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि *चोट के मामलों में, चोट की प्रकृति और स्थायी विकलांगता का वर्णन प्रासंगिक कारक हैं और यह देखा जाना चाहिए कि घायलों की कमाई क्षमता पर इस तरह की चोट / विकलांगता का क्या प्रभाव पड़ेगा।* प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी गण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जा सके कि याची केवल मेज पर ही कार्य करके वेतन अर्जित कर रहा है और उसकी अर्जन क्षमता में कोई कमी नहीं आई है। मेरे विचार से यदि याची को अकुशल श्रमिक माना जाता है और चूँकि वह ग्रामीण परिवेश का है और खेती बाड़ी का कार्य है तो पंजा कटने की 45% विकलांगता पर 50% अर्जन क्षमता की कमी अवश्य आएगी क्योंकि पैर का पंजा अकुशल श्रमिक के कार्य में या कृषि कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोनों पैरों में एक ही साइज के जूते पहन लेने से न तो उसके अर्जन क्षमता में बढ़ोतरी होगी और ना ही यह माना जा सकता है कि वह विकलांग नहीं रह गया। अतः विपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है कि दोनों पैरों में एक ही जूता पहन लेने से उसकी विकलांगता समाप्त हो गई है। बहस के समय याची ने अपना पैर जूते से निकाल कर दिखाया है यह वैसा ही है जैसा कि पत्रावली में अवस्थित एक्स-रे में पंजा कटा पैर दिखाई पड़ रहा है।

13. याची ने अपने कथनों के समर्थन में सूची साक्ष्य 37 सी1 के माध्यम से विभिन्न दावाओं से संबंधित बिल / रसीद, असल एक्स-रे रिपोर्ट व एक्स-रे प्लेट, असल उपचार के पर्चे, डिस्चार्ज कार्ड / समरी, असल पैथोलॉजी रिपोर्ट दाखिल किये गये है। याची की याची की ओर से पत्रावली पर दाखिल बिलों एवं रसीदों का कुल योग ₹ 51,327 होता है, जो कि याची के नाम में हैं, जिन्हें मैं उचित पाता हूँ। याची लगभग 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहा है। प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में याची की इंजरी रिपोर्ट में वर्णित चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए ₹ 45,000, पुष्टाहार के लिये ₹ 5,000, सहायक की सेवाओं के लिए खर्च पर एक मुश्त ₹ 5,000, उपचार के लिये आवागमन पर हुये व्यय के मद में ₹ 1,000, दिलाया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

14. याची ने अपनी याचिका में अपनी मासिक आय ₹ 20,000 अंकित की है किन्तु उसने याचिका में यह अंकित नहीं किया है कि किस कार्य से उसकी आय ₹ 20,000 मासिक होती। पी. डब्लू. 1 के रूप में उसने अपनी आय के संबंध में साक्ष्य दिया है कि अगर उसे दुर्घटना में अपंगता नहीं आती तो उसकी मासिक आय ₹ 15,000 होती। पी. डब्लू. 2 ने भी यह साक्ष्य दिया है कि उसका पुत्र उपरोक्त दुर्घटना में यदि घायल न हुआ होता तो कम से कम ₹ 20,000 प्रतिमाह कमा रहा होता। पी. डब्लू. 1 व पी. डब्लू. 2 हितबद्ध साक्षी हैं और उन्होंने याची की आय के सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। याची कक्षा 12 का छात्र बताया गया है। इन परिस्थितियों में नोशनल आय को संज्ञान में लेना ही न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Laxmi Devi and Ors. vs. Mohammad Tabbar and Ors. (25.03.2008 - SC) : MANU/SC/7368/2008 मे माननीय उच्चतम न्याालय द्वारा अकुशल मजदूर के लिए 12 वर्ष पूर्व ₹ 100 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। विधि व्यवस्था Chandrawati vs. Shushil Kumar and Ors. (01.08.2018 – ALLHC) : MANU/UP/2954/2018 मे माननीय उच्च न्याालय इलाहाबाद द्वारा अकुशल मजदूर के लिए ₹ 200 प्रति दिन की मजदूरी उचित मानी है। उल्लेखनीय है कि भारत मे असंगठित क्षेत्र के कार्मिक को पूरे वर्ष रोजगार नही मिलता है। वास्तव मे कल्पित आय एक अनुमान है जो काल, स्थान व परिस्थितयों पर आधारित होता है। माह मे औसतन चार दिन कार्य न लग पाने की संभावना रहती है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण मे कल्पित आय (Notional Income) ₹ 165 निर्धारित की जाती है।

15. पी. डब्लू. 1 ने मृतक की आयु 17 वर्ष बतायी है तथा छाया प्रति इंजरी रिपोर्ट 40 सी1 व याची के पर्चों में भी उसकी उम्र 17 वर्ष अंकित है जिसका खंडन नहीं हो सका है अतः मैं इस निष्कर्ष का हूँ कि मृतक की आयु 17 वर्ष की थी। विधि व्यवस्था National Insurance Company Limited vs. Pranay Sethi and Ors. (31.10.2017 - SC) : MANU/SC/1366/2017 के अनुसार गुण्य प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए यदि मान लिया जाए कि मृत्यु हुई होती तो 18 का गुणक प्रयोज्य होता तथा 40 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए 40 % भविष्य मे प्रत्याशा की वृद्धि होती, अतः

वार्षिक आय= आय प्रतिदिन x माह के दिन x वर्ष के माह	165	30	12	59400
भविष्य प्रत्याशा (प्रतिशत में)			40	23760
गुण्य				83160
गुणक			18	1496880
स्थायी अपंगता (प्रतिशत में) पर क्षति			50	748440
मानसिक कष्ट के मद मे			45000	
इलाज पर खर्च			51327	799767
पुष्टाहार पर खर्च			5000	804767
यातायात पर खर्च			1000	805767
सहायक पर खर्च			5000	810767
कुल क्षतिपूर्ति				**799767**

इस प्रकार क्षतिपूर्ति की कुल धनराशि ₹ 7,99,767 आती है। विधि व्यवस्था National Insurance Company Ltd. vs. Mannat Johal and Ors. (23.04.2019 - SC) : MANU/SC/0589/2019 के आलोक मे 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, स्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा। विधि व्यवस्था Jai Prakash vs. National Insurance Co. Ltd. and Ors. (17.12.2009 - SC) : MANU/SC/1949/2009 व M.R. Krishna Murthi vs. The New India Assurance Co. Ltd. and Ors. (05.03.2019 - SC) : MANU/SC/0321/2019 के आलोक मे क्षतिपूर्ति धनराशि की पंच वर्षीय सावधि जमा से त्रैमासिक ब्याज प्राप्त करने की योजना बनाया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 व 2 के विरुद्ध संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ 7,99,767 (सात लाख निन्यानवे हजार सात सौ सरसठ) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी

लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 60 दिन के अंदर क्षतिपूर्तिकर्ता के रूप मे क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के सिंडीकेट बैंक के खाता संख्या 92352010008560 IFSC-SYNB0009235 मे RTGS/NEFT के माध्यम से कर दे।

याची को प्राप्त होने वाली धनराशि का 75 प्रतिशत भाग सर्वोच्च ब्याज दर देने वाली सावधि जमा मे 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेशित की जायेगी जिसका त्रैमासिक ब्याज याची प्राप्त करता रहेगा। शेष धनराशि नयायाधिकरण के आदेश पर याची के बैंक खाते मे RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित कर दी जायेगी। याची की उक्त निवेशित धनराशि याची की इच्छा पर 5 वर्ष के पश्चात पुनर्निवेशित की जा सकेगी।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 21.08.2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले वर्चुअल न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 21.08.2020

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी